न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/350

1. कैलाश आयु 61 वर्ष आत्मज श्री भूरा जाति मीणा निवासी ग्राम डेलपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
2. महावीर आत्मज श्री कैलाश जाति मीणा निवासी ग्राम डेलपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी
3. राजकुमार आत्मज श्री कैलाश जाति मीणा निवासी ग्राम डेलपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. दीना आत्मज श्री जन्शी जाति बंजारा निवासी ग्राम डेलपुरा तहसील नैनवा जिला बून्दी।
2. भू–स्वामी तहसीलदार, नैनवा जिला बून्दी ।
3. राजस्थान राज्य जरिये जिलाधीश जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री महेश योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. पैरोकार सरकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 13.03.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवा जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत स्थायी निषेधाज्ञा एवं नक्शे में तरमीम करने बाबत् वाद पेश कर कथन किया कि ग्राम डेलपुरा तहसील नैनवा जिला कोटा में खसरा नम्बर 656/248 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी के खातेदारी एवं कब्जे की भूमि है जिस पर वादी का कब्जा वर्षों से निरन्तर चला आ रहा है । प्रतिवादीगण क्रम 1 से 3 अवैध व अनाधिकृत रूप से बलपूर्वक वादी को बेदखल कर स्वयं कब्जा करना चाहते हैं तथा ताकत के बल पर वादी को उक्त भूमि से बेदखल करने पर आमादा हैं ।

3. अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण क्रम 1 से 3 को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजी को नष्ट भ्रष्ट नहीं करें, बलपूर्वक वादी को बेदखल कर स्वयं कब्जा नहीं करे एवं अन्य किसी भी प्रकार से वादी के

हक एंव अधिपत्य में कोई हस्तक्षेप न तो स्वयं करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें। यदि दौराने वाद प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर कब्जा कर लें तो उन्हें उक्त भूमि से बेदखल कर कब्जा वापस वादी को संभलाया जावे एवं नक्शा ट्रेस में आवश्यक तरमीम की जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.06.2016 के द्वारा वाद वादी स्वीकार करते हुए डिक्री कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.06.2016 से व्यथित होकर प्रतिवादीगण क्रम 1 से 3 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारों को सुनवाई व साक्ष्य का सम्पूर्ण अवसर प्रदान किये बिना ही राजस्व मण्डल व राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों व नोटिफिकेशन की पूर्णतया अवहेलना करते हुए लोक अदालत की भावना के विपरीत उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है । सीपीसी की पालना किये बिना ही उक्त निर्णय एवं डिक्री पारित की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.06.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक वादा स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया था । दावा तनकीयात एंव दस्तावेज हेतु लम्बित था और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में सीपीसी की पालना किये बिना निर्णय पारित किया गया है । लोक अदालत में पक्षकारों के द्वारा कोई राजीनामा भी पेश नहीं किया गया है और न ही पक्षकारों के मध्य कोई सहमति बनी है । अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.06.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

8. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट क्रम 1 वादी ने एक दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा एंव नक्शे में तरमीम का पेश किया है । दावे में प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा पेश किया गया था । पत्रावली कायम तनकीयात में लम्बित थी और उसमें कायम तनकीयात दिनांक 06.06.2016 तारीख नियत की गई थी । दिनांक 06.06.2016 की कोई आदेशिका अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अंकित नहीं की गई है और उसे दिनांक 20.06.2016 को लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में वादी और प्रतिवादी क्रम 1 कैलाश की उपस्थिति दर्ज की गई है न तो समस्त पक्षकारान उपस्थित हुए हैं और न ही पक्षकारान के द्वारा कोई राजीनामा पेश किया गया है और उसी दिन दावा डिक्री कर दिया । सीपीसी की पालना नहीं की है । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें उभय पक्ष उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करें । इसके अभाव में दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य

लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करना होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की गई है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.06.2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का स्पष्ट रूप से निष्कर्ष पारित करते हुए पत्रावली प्राप्ति के 03 माह में विधि सम्मत रूप से नये सिरे से गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 29.04.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

10. निर्णय आज दिनांक 13.03.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

13/3/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा